

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०

(भारत सरकार का उद्यम)

महादेव कॉलोनी, बलिया खेड़ी ब्लॉक के सामने, दिल्ली रोड, सहारनपुर (उ०प्र०)



पावर ग्रिड

पावर ग्रिड/सहारनपुर/ 927

सौदा - सरगवल भुगतान

दिनांक 9.10.14

पते की जानकारी: सोमपाल पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री रकम सिंह
सहारा हाथवा पो० सारा
सहारा हाथवा जिला सहारनपुर

विवरण: भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनुच्छेद 164 व भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 अनुच्छेद 10 से 19 में निहित धाराओं का प्रयोग करते हुए, आपको सूचित किया जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (भारत सरकार विद्युत उद्यम का उद्यम) द्वारा 400 के०वी०डी०/सी० रुड़की-सहारनपुर पैकेज के बनाते समय उचित ध्यान रखा जायेगा कि आपकी फसल की क्षति से कम क्षति हो, फिर भी अपरिहार्य कारणों वश उपरोक्त लाईन निर्माण के समय नष्ट हुई आपकी फसल को आपके लिए ठीक कर दिया जायेगा। क्षतिग्रस्त फसल की क्षतिपूर्ति, जो राजस्व विभाग या उसके द्वारा निर्धारित/निर्देशित किसी अन्य सक्षम निकाय द्वारा निर्धारित की जायेगी, का भुगतान स्वामित्व सत्यापन के उपरान्त किया जायेगा।

फसल का विवरण

लोकेशन संख्या	कार्य विवरण	फसल	क्षेत्रफल
33/14	एल०वी०डी० लाईन	जिनगी (सहारा)	180 x 4 = 720 वर्ग मीटर
		सहारा	11 x 22 = 242 वर्ग मीटर
		सहारा हाथवा	50 x 1.5 x 2 = 150 वर्ग मीटर

भवदीय
 वास्ते पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०

आपका नाम: सोमपाल पु०/पत्नी रकम सिंह


मैं स्वीकार करता हूँ कि उपरोक्त फसल का स्वामी हूँ, जिसका राजस्व विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन मुझे स्वीकार होगा तथा इस कार्य में मेरी सहमति प्रदान करता हूँ।

आपका हस्ताक्षर: सोमपाल

किया जाता है उपरोक्त फसल के स्वामी श्री सोमपाल पु०/पत्नी रकम सिंह
 ग्राम सहारा हाथवा तहसील सहारा हाथवा जिला सहारनपुर है।

हस्ताक्षर: देवेश कुमार
 नाम ग्राम प्रधान
 जिला

आपसे अनुरोध है कि ऊपर लिखित क्षति का सत्यापन करते हुए फसल की हानि का मूल्यांकन कराने का कष्ट



ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि०

(भारत सरकार का उद्यम)

महानगर कोलोनो, बलिया रोड़ी ब्लाक के सामने, दिल्ली रोड, सहायपुर (उत्तर)



पावर ग्रिड

सहायपुर/ब्लॉक/... 404

दिनांक 1.6.15

सोतपाल
 श्री/श्रीमती/श्रीमान
 श्री/श्रीमती/श्रीमान
 जन्मस्थान
 जन्मदिन

1. 400 वोल्टी, रूड़की-सहायपुर पावरलाइन के मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों को काटने के सम्बन्ध में (भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अन्तर्गत सूचना)

प्रिय,
 इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आपके कुछ वृक्ष जिनका स्थिति भीषण दिख रहा है उसीसे पावर लाइन आ रहे हैं। विद्युत सुरक्षा नियमों के अधीन (इन्डियन टेलीग्राफिटी एक्ट 2003 (अद्यत संशोधित) एवं जलसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वृक्षों को काटा जाना अत्यंत आवश्यक है।
 अतः आपसे अनुरोध है कि अगले इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर सम्बन्धित वन विभाग के अधिकारी से विद्यमान वृक्षों का कर निम्नलिखित वृक्षों को काट ले। ये वृक्ष वन विभाग/वन/उद्यान विभाग द्वारा निम्नलिखित स्थान पर हैं।
 स्थान: सहायपुर/ब्लॉक/... के समक्ष आगली पावर ग्रिड द्वारा किया जायेगा।

वृक्षों का विवरण

क्र.सं.	वृक्ष का प्रकार	वृक्षों की मापें (से.मी. में) एवं संख्या							अन्य विवरण
		ऊंचाई	घेराव	वृक्ष का व्यास	वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

प्रमाणित करता हूँ कि मुझसे हुए वृक्षों का काटना मात्र स्वामी हूँ यदि इस पर कोई स्वामित्व विवाद उत्पन्न होने में स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।
 वृक्ष स्वामी के हस्ताक्षर
 श्री/श्रीमती/श्रीमान

(Signature)
 श्री/श्रीमती/श्रीमान
 पावर ग्रिड प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

(Signature)

देवेश कुमार सिंह / Devesh Kumar Singh
 मुख्य प्रबंधक (टी. एल.) / Chief Manager (T.L.)
 पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन
 Power Grid Corporation of India
 400/220 के.वी. लाइन
 400/220 के.वी. लाइन

2020-8-2

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (भारत सरकार उद्यम)

400/220 के.वी. उपकेंद्र, राम मोहनपुर गाँव, पोस्ट-अधोका, दिल्ली रोड, मथुरा-281451



पावर ग्रिड

पता: पावर ग्रिड/मथुरापुर/

194

दिनांक 14/01/20

सेवा में,

श्री श्री प्रभु अजयपाल

पुनः/पत्नी श्री

रश्मि देवी

जय राजेश्वरी इरिया

पो

अधोका

मथुरा-281451

जिला

अधोका

प्रति,

भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनुच्छेद 164 व भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 अनुच्छेद 10 से 19 विहित शर्तों के अन्तर्गत किये गए हैं। आपको सूचित किया जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (भारत सरकार विद्युत उद्यम) का एक 400 के.वी.टी.टी./सी.टी.टी. सबस्टेशन-मथुरापुर पोल के अन्तर्गत सभ्य उचित ध्यान रखा जायेगा कि आपकी कसल की कम से कम शक्ति हो, फिर भी अपरिहार्य कारणों से उपरोक्त लाईन निर्माण के समय बन्द हुई आपकी कसल को आपकी सुविधा के लिए बन्द किया जायेगा। क्षतिग्रस्त कसल की क्षतिपूर्ति, जो राज्य विभाग या उसके द्वारा निर्धारित/निर्दिष्ट किसी अन्य सभ्य उद्यम के विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, का भुगतान स्वामित्व सत्यापन के उपरान्त किया जायेगा।

कसल का विवरण

कसल संख्या	कसल विवरण	कसल	क्षेत्रफल
30/3-4	अधोका	अधोका	23 X 30 = 690 वर्ग मीटर

भवदीय
माननीय श्री अजय कुमार
मुख्य प्रबंधक (टी. एल.) / पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०

अजयपाल

पुनः/पत्नी रश्मि देवी

सत्यापित कसल है कि उपरोक्त कसल का स्वामी है, जिसका सत्य विभाग किया गया मूल्यांकन मुझे स्वीकार होगा तथा धारा 10 से 19 के अन्तर्गत सभ्य ध्यान रखा है।

स्वामी का हस्ताक्षर

सत्यापित किया जाता है उपरोक्त कसल को स्वामी श्री
निर्धारित नाम

अजयपाल
राजेश्वरी

पुनः/पत्नी
जिला

हस्ताक्षर
नाम सभ्य प्रदान
जिला

प्रतिनिधि: राजेश्वरी-राजेश्वरी

आपसे अनुरोध है कि ऊपर लिखित शर्तों का स्वामित्व सत्यापन करने पर ध्यान रखा जाये कि कसल का मूल्यांकन करने का कसल

देवेश कुमार सिंह / Devesh Kumar Singh
मुख्य प्रबंधक (टी. एल.) / Chief Manager (T.L.)
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
400/220 के.वी.टी.टी. उपकेंद्र, पुराना, रु.ड.की-247567
400/220 KV Substation, Puhana, R.O. No. 247567

2020-8-2